फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेशसिंह — **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 135/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 26.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1786/1113 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 1863/955 में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता 240 फीट लम्बाई व 20 फीट चौडा होकर 4800 वर्गफीट अर्थात् 0.0446 हेक्टेयर होकर डीएलसी दर 6,34,643/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 28,304/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम दर्ज होकर किस्म मगरी हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नऊवा की आराजी नम्बर 1786/1113 रकबा 1.0522 हेक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1863/955 रकबा 0.6830 हेक्टेयर मे से 240 फीट लम्बाई व 20 फीट चौडा होकर 4800 वर्गफीट अर्थात् 0.0446 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 240 फीट लम्बाई व 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 6,34,643/– अक्षरे छः लाख चौतीस हजार छः सौ तैयालीस रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0446 हेक्टेयर (240X20 फीट) की कुल कीमत 28,304/– का दुगुना 56,608/– रूपयें अक्षरे छप्पन हजार छः सौ आठ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली